



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25062024-254933
CG-UP-E-25062024-254933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2326]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2024/आषाढ 3, 1946

No. 2326]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2024/ASHADHA 3, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

का.आ. 2446(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत पहिबहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 344ट के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक को अधिसूचित करती है जो कि अधिनियम के भाग 9ख के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी होगा।

[फा. सं. एसटी-16011/4/2022-एमए]

राजेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

S.O. 2446(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 344k of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby notifies that the Director General of Shipping, appointed under section 7 of said Act, shall be the designated authority for the purposes of part IXB of that Act

[F. No. ST-16011/4/2022-MA]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

3744 GI/2024